सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

अपील संख्याः 02/12 **निर्णय दिनांकः 30.05.2019**

1. रूपाराम पुत्र चन्दूराम जाति जाट निवासी रामनगर तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1.	आदूराम	पिसरान रूघाराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी चक 2 एल.के.एस.एम. तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
2.	दुलाराम	
3.	कुशलाराम	
4.	उदाराम	
5.	अर्जनराम	
6.	रामकरण	
7.	सोहनलाल	

8. श्रीमती तीजा बेवा स्व. रूघाराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी चक 2 एल.के.एस.एम. तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार छत्तरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 26–12–2012
उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गिरधारीलाल रामावत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 26–12–2012 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि विशेष आवंटन हेतु गजट में साया होने पर अपीलांट द्वारा सक्षम आवंटन अधिकारी के समक्ष आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट को दिनांक 23—03—2000 को चक 2 एल.के.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 154/16 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जाकर खातेदारी सनद् प्राप्त की जा चुकी है। ऐसीस्थिति में विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकता है। उक्त सिद्वान्त के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् ताफैसला रिव्यू प्रार्थना पत्र आराजी जैर के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये हैं जिससे व्यथति होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 2 एल.के.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 154/16 के किला नम्बर 1 ता 25 में तादादी 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 23—03—2000 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में किया गया। जिसके पश्चात् अपीलांट द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है एवं अपीलांट के हक में खातदारी सनद् जरिये पुस्तक संख्या 4 क्रम संख्या 33 दिनांक 17—01—2011 जारी की जा चुकी है। उक्त आवंटन आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील रिमाण्ड की गई जिस पर बाद सुनवाई उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला द्वारा अपीलांट का आवंटन बहाल रखा गया।

उन्होनें आगे बताया कि उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 14—09—2001 के विरूद्व पुनः अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा द्वारा आदेश दिनांक 14—09—2001 निरस्त करते हुए अपीलांट को अन्य भूमि विकल्प में दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश के

विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपीलांट की निगरानी स्वीकार की गई तथा उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला का आदेश दिनांक 14—09—2001 यथावत बहाल रखा गया। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपीलांट का आवंटन कन्फर्म किये जाने पर अपीलांट के पक्ष में बाद जॉच खातेदारी सनद् दिनांक 17—01—2011 जारी की जा चुकी है। इस प्रकार अपलांट वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर कोई गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि उनके द्वारा अदालत मातहत के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि वादगत् भूमि पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है ऐसी स्थिति में बिना कब्जे काश्त के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादगत् भूमि पर जबदस्ती कब्जा करने पर आमादा है। अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व ना तो कोई जॉच की गई व ना ही वादगत् भूमि के मौके की कोई रिपोर्ट प्राप्त की गई। जबकि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण उक्त भूमि की खातेदार, गैर खातेदार अथवा कृषक आदि कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट/प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनती है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इनग्रिडियेन्टस प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति आदि की कोई विस्तृत विवेचना अपने आदेश में नहीं की गई है। रेस्पोडेन्ट का वादगत् भूमि से कोई लेना—देना नहीं है ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अपीलांट द्वारा लाखों रूपया खर्च कर वादगत् भूमि को काबिल काश्त बनाया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है। चूंकि अपीलांट

वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 2 एल.के.एस.एम. के मुरब्बा नम्बर 154/16 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है। जिस पर उनका वर्ष 1986 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त खातेदारी किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक खारिज नहीं की गई है। अपीलांट का कभी यह कथन होने पर कि वादग्रस्त भूमि उनकी खातेदारी भूमि है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की सहमति से मौका निरीक्षण करवाया गया। मौका निरीक्षक तहसीलदार, छत्तरगढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि उभय पक्षों तथा हल्का पटवारी की मौजूदगी में मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि वादग्रस्त भूमि आदूराम वगैरा जाति मेघवाल के कब्जे काश्त में है। अपीलांट वादगत् भूमि से रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर विक्रय करने, अपने नाम करवाने व वादगत् भूमि से अपीलांट को बेदखल करने पर आमादा है। यदि अपीलांट अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो रेस्पोडेन्ट को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हए ही रिव्यू प्रार्थना पत्र के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट/रेस्पोडेन्ट दोनों के द्वारा वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने व उनके कब्जे काश्त में होने का कथन दौराने बहस किया गया है। इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत

प्रकरण में विवाद का मुख्य वादगत् भूमि के हक हकूकों को लेकर है। प्रकरण में इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि वादगत् भूमि के स्वामित्व का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार रिव्यू प्रार्थना पत्र में तय होने है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् व विवादित भूमि के बाबत् मौका कमीश्नर की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त जिसमें प्रश्नगत् भूमि पर कब्जा आदूराम वगैरा का माना गया है के आधार पर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये है। प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि के संबंध में पक्षकारो के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार रिव्यू प्रार्थना पत्र में तय होना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अर्थात प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित करते हुए मामलें में और विवाद बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए वादगत् भूमि के संबंध में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 14—03—2012 को ताफैसला रिव्यू प्रार्थना पत्र तक कन्फर्म किया गया है।

चूंकि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये है। उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को हक व हकूकों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है ना ही किसी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 26—12—2012 यथावत बहाल रखा जाता है

9. निर्णय आज दिनांक 30.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर